अनुमण्डलीय न्यायालय–तृतीय, डुमरॉव, जिला–बक्सर

टी0एस0 सं0–238 / 2016

23.08.2023 वादी की पैरवी है प्रतिवादी अनुपस्थित है। प्रस्तुत वाद वादी की तरफ से शपथ पत्र के साथ दाखिल आवेदन दिनांक–30.06.2023 आदेश 6 नियम 17 व धारा 151 सी0पी0सी0 पर उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के सुनवाई उपरान्त आदेश हेतु नियत हैं।

आदेश

वाद पुकार पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवकता न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए। वाद सुनवाई के दौरान उनका कहना है कि उन्होंने अपने अर्जी में संशोधन हेतु एक आवेदन दाखिल किया है जिसके आलोक में प्रतिवादी के द्वारा कोई प्रतिउत्तर दाखिन नहीं किया गया है। अपने आवेदन पर सुनवाई के दौरान उनका कहना है कि वादी ने यह वाद विवादित केवाजातों शून्य, नल एण्ड भ्वायड घोषित कराने हेतु दाखिल किया है। प्रस्तुत मुकदमा के दौरान प्रतिवादी सं0–11 सोनामती के द्वारा विवादित एराजी को दो किता केबाला दस्तावेज के माध्यम से बिक्री किया गया है। इस प्रकार से यह निहायत जरूरी है कि प्रतिवादी सं0–11 वो खरीददारों को प्रस्तुत वाद में फरीक बनाया जाए तथा उपरोक्त दो किता रजिस्टर्ड केबाला दिनांक–28.01.2023 को नल एण्ड भ्वायड एवं शून्य घोषित करने हेतु आदेश प्रदान किया जाए।

वादी ने अपने आवेदन के पारा 2 में अर्जी में संशोधन हेतु तथ्यों का जिक्र किया है। उक्त तथ्यों के समावेस होने से वाद के स्वभाव एवं प्रकृति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। अतः विद्वान अधिवक्ता अपने आवेदन को स्वीकृत करने की प्रार्थना करते हैं।

वादी के अधिवक्ता को सुना एवं संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद में वादी के आवेदन के आलोक में प्रतिवादी द्वारा कोई प्रतिउत्तर दाखिल नहीं करने के कारण उसे प्रतिउत्तर दाखिल करने से वंचित कर दिया गया है।

वादी ने अपने आवेदन में इस तथ्य का जिक्र किया है कि मुकदमा के दौरान प्रतिवादी सं0–11 ने विवादित जमीन का बिक्रय किया है जिस आधार पर उक्त केबाला के क्रेतादारों को पक्षकार बनाने साथ ही साथ उक्त केबाला को शून्य धोषित कराने हेतु अपने वाद पत्र में संशोधन कराना चाहते हैं। वादी के इस प्रकार के संशोधन से वाद की

प्रकृति एवं स्वभाव में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। वादी के द्वारा किया गया संशोधन आवेदन काफी विलम्ब से दाखिल किया गया है। ऐसी स्थिति में संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए वादी के संशोधन आवेदन को 500/–रूपये खर्चा जो प्रतिवादी पक्ष को देय होगा के साथ स्वीकृत किया जाता है। प्रतिवादी यदि चाहें तो इस संशोधन आवेदन के आलोक में अपना अतिरिक्त बयान तहरीरी दाखिल कर सकते हैं।

वाद दिनांक–.....वास्ते अग्रिम कार्यवाही।

लेखापित

सब जज–तृतीय